बिहार सरकार

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना

बिहार स्टेट माइनोरिटीज फाइनेन्सियल कारपोरेशन लि॰ पटना

अब्दुल कय्यूम अंसारी मेमोरियल भवन, 34, हार्डिंग रोड, (अली इमाम पथ) पटना-800001

Ph: 0612-2204975 Email-bsmfclpatna-bih@gov.in / minocorpatna@gmail.com.

website:www.bsmfc.org (CIN No.-U65110BR 1984SGC 001964)

राज्य सम्पोषित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजनान्तर्गत
वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के लिए आवेदन पत्र आमंत्रण की सूचना

राज्य सम्पोषित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के लिए समेकित रूप से सूबे के अल्पसंख्यक समुदाय यथा **मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी एवं जैन समुदाय** के व्यक्तियों से विभिन्न व्यवसायों के लिए न्यूनतम 5% वार्षिक ब्याज दर पर ऋण राशि उपलब्ध कराने हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है । इच्छुक सुयोग्य अल्पसंख्यक, जो नीचे वर्णित पात्रता रखते हैं, वे निम्नांकित व्यवसाय / इकाई / प्रतिष्ठान के लिए दिनांक–08.03.2022 तक अपने जिला के सहायक निदेशक / जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में आवेदन पत्र आवश्यक कागजात के साथ हाथों-हाथ, या डाक के माध्यम से जमा कर सकते हैं । **उपरोक्त योजना वर्षों के लिए आवेदक द्वारा एक ही आवेदन पत्र जमा किया जाना है** तथा जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा दोनों वर्षों के लिए समेकित (एक ही) चयन सूची का निर्माण किया जायेगा । आवेदकों का चयन राज्य सरकार के द्वारा गठित जिला स्तरीय चयन समिति के द्वारा किया जायेगा। चयन समिति से अनुशंसित / चयन सूची प्राप्त होने के उपरांत आवेदकों एवं निगम के बीच एकरारनामा तथा गारंटी बाण्ड निष्पादित होने के पश्चात् ऋण की स्वीकृति दी जायेगी ।

आवेदक के लिए पात्रता	**आवेदन के लिए व्यवसाय/इकाईयाँ**
(i) आयु 18 से 50 वर्ष के बीच । (ii) आवेदक उसी जिला के निवासी हों जहाँ योजना का लाभ लिया जाना है । (iii) आवेदक सरकारी/अर्द्ध सरकारी सेवा में न हो । (iv) आवेदक के पारिवारिक वार्षिक आय 4 लाख रुपये से अधिक न हो । (v) आवेदक अल्पसंख्यक यथा मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन अथवा पारसी समुदाय का हो । मुस्लिम को छोड़कर अन्य अल्पसंख्यकों हेतु उनके धर्म सम्बन्धी प्रमाण पत्र सम्बन्धित धर्मावलम्बी संस्थानों (Monasteries) द्वारा निर्गत हो । (vi) ऋण की अधिकतम राशि 5 लाख रुपये है । (vii) एक लाख रुपये तक की ऋण राशि : ऋणधारक द्वारा स्वयं की गारंटी, किसी ऐसे व्यक्ति की गारन्टी जिनके नाम या उनके माता/पिता के नाम रेन्ट रसीद/लगान/अन्य सम्बन्धित दस्तावेज हो, से गारंटी बाण्ड निष्पादित कराते समय उसकी छाया प्रति समर्पित करेंगे । 1,00,001 रुपये से 5 लाख रुपये तक की ऋण राशि के लिए एक सरकारी/अर्द्ध सरकारी/बैंक कर्मी/स्वायत निकाय के कर्मी (जिनकी सेवा कम से कम 5 वर्ष शेष हो)/आयकर दाता की व्यक्तिगत गारंटी/आँगनबाड़ी कर्मी/पंजीकृत मदरसों के शिक्षक/नियोजित शिक्षक/अनुबंधित वक्फ के मोतवल्ली, ऋण राशि के समतुल्य अचल सम्पत्ति का बन्धेज (Equitable Mortagage) के साथ गारंटी बाण्ड निष्पादित करना होगा । (viii) यदि स्वीकृत राशि के विरुद्ध मशीन/उपकरण/उपस्कर/सामग्री के एक युनिट का क्रय मूल्य 1 लाख रुपये या उससे अधिक हो तो लाभार्थियों द्वारा अधिकृत विक्रेता से प्राप्त कोटेशन/प्रोफोर्मा बिल समर्पित किया जायेगा, जिसकी आपूर्त्ति हेतु सीधे विक्रेता के बैंक खाते में RTGS के माध्यम से निगम द्वारा भुगतान किया जायेगा । (ix) चार पहिये वाहन ऋण के लिए आवेदक को हल्के मोटर ड्राईविंग का लाईसेन्स (LMV) तथा दवा दुकान के लिए ड्रग लाईसेन्स की छाया प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है ।	**लघु ऋण** (अधिकतम 2 लाख रूपये तक) ब्यूटी पार्लर, जेनरल स्टोर, स्टेशनरी दुकान, चूड़ी-लहठी दुकान, पारचून, किराना दुकान, इलेक्ट्रिक सामग्री की दुकान, क्रॉकरी की दुकान, प्लास्टिक की दुकान, ऑटोमोबइल रिपेयर, स्पेयर पार्टस की दुकान, टेलरिंग एवं इम्ब्रोडरी की दुकान, टी. स्टॉल, पान की दुकान, चाय-नाश्ता की दुकान, बकरे /मुर्गा का मांस की दुकान, टायर-टयूब रिपेयर की दुकान, अंडा की दुकान, मोमबत्ती/अगरबत्ती बनाना, मोटर रिवाईडिंग, एपलिक वर्क, जूट-बैग का निर्माण, मोबाईल/लैपटॉप रिपेयर, आँटा चक्की/ मसाला पिसाई उद्योग, तेलघानी उद्योग, ई-रिक्शा एवं फल सब्जी इस प्रकार का अन्य इत्यादि । **वृहत ऋण** (2 लाख रूपये से अधिकतम 5 लाख तक) मोबाईल दुकान, ब्लॉक प्रिन्टिंग मशीन, चूड़ी-लहठी कारखाना, शीप उद्योग, गेट-ग्रील निर्माण, राईस/चूड़ा मील, जेनरेटर, डेस्क-टॉप प्रिन्टिंग, कम्प्यूटर स्पेयर एवं दुकान, टेम्पू, मिनी भैन, मालवाहक भैन, स्कारपियो, सुमो, बेलेरो, रेडिमेड, फर्नीचर शॉप, जूता-चप्पल दुकान, कपड़ा की दुकान, अनाज खरीद-बिक्री, बिल्डिंग मटेरियल, दवा की दुकान, मुर्गी पालन, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स की दुकान, मीनरल वाटर प्लान्ट, ज्वेलरी की दुकान, हाडवेयर की दुकान, पैथोलोजी, कोचिंग इन्स्टीच्यूट, बैग कारखाना, बेकरी, फ्लैक्स एवं डिजीटल प्रिन्टिंग दुकान,, मेडिकल इक्यूपमेंट मनोफाईकचरिंग, स्टील फैब्रिकेशन, टायर-टयूब की दुकान एवं इस प्रकार की अन्य इत्यादि ।

Scanned by TapScanner

(x) लाभुकों द्वारा प्रत्येक वर्ष की देय किस्तों की राशि के अनुसार भुगतान नहीं किये जाने पर वर्ष की समाप्ति के पश्चात् अतिदेय राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कर उनसे निगम द्वारा वसूली की जाएगी । (xi) मूलधन एवं देय ब्याज की वापसी अधिकतम 20 त्रैमासिक किस्तों में किया जाना है ।	

नोट : 1. आवेदन पत्र का विहित प्रपत्र निगम के वेबसाईट www.bsmfc.org या अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार के वेबसाईट https://state.bihar.gov.in/minoritywelfare/SectionInformation.html?editForm&rowId=4199 (अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाईट के Download Section) से डाउनलोड कर सकते हैं अथवा निगम मुख्यालय/निगम के प्रमण्डलीय कार्यालय/सभी जिले के जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है ।

2. आवेदन पत्र हाथों-हाथ, या डाक के माध्यम से सहायक निदेशक / जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में दिनांक-07.02.2022 से 08.03.2022 के अपराह्न 05:00 बजे तक जमा होगा ।

ह०-

प्रबन्ध निदेशक

बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम

बिहार, पटना

ज्ञापांक------- दिनांक--------

प्रतिलिपि : सहायक निदेशक-सह-लेखा पदधिकारी / ऋण प्रभारी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

प्रबन्ध निदेशक

ज्ञापांक 342--- दिनांक 31/01/2022

प्रतिलिपि : आई०टी० प्रबन्धक को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि विज्ञापन एवं आवदेन पत्र निगम एवं विभाग वेब साईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगी ।

31/1/22

प्रबन्ध निदेशक

2E:\SHAHID\2021\Advertisement 2020-21

Scanned by TapScanner